



बिस्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- ❖ बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिस्स्टेक) की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हुई। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसमें भाग लिया।
- ❖ बिस्स्टेक सदस्यों के बीच लचीलेपन और समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बिस्स्टेक क्या है ?

- ❖ बिस्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरुआत में BIST-EC (बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जाना जाने वाला यह संगठन वर्तमान में BIMSTEC के नाम से जाना जाता है और इसमें सात सदस्य शामिल हैं, जिसमें म्यांमार 1997 के अंत में तथा भूटान और नेपाल 2004 में शामिल हुए।
- ❖ विश्व की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आस-पास के सात देशों में रहती है, जिनकी संयुक्त GDP 2.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। 2012 से 2016 तक सभी सात देशों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.4% और 7.5% के बीच रही है।
- ❖ विश्व की एक चौथाई व्यापारिक वस्तुएं हर वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं।
- ❖ बिस्स्टेक के भीतर सहयोग शुरू में 1997 में छह क्षेत्रों (व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन) पर केंद्रित था और 2008 में अन्य क्षेत्रों में विस्तारित हुआ।



- ❖ 2021 में, एक पुनर्गठन के कारण प्रत्येक सदस्य राज्य को कुछ क्षेत्रों का नेतृत्व करना पडा। भारत आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा के साथ-साथ सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

एक क्षेत्रीय मंच के रूप में बिस्सटेक का विकास

- ❖ गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ-साथ, भारत ने बिस्सटेक देशों के नेताओं के साथ एक आउटरीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- ❖ कई वर्षों से अस्तित्व में रहने के बावजूद यह समूह काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता रहा है।
- ❖ इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SARCS) शिखर सम्मेलन के बहिष्कार पर नई दिल्ली के आह्वान का समर्थन देखने को मिला। सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। जब वह शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, तो भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने में जीत का दावा किया।
- ❖ सार्वजनिक नीति थिंक टैंक **सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रिसर्च फेलो कॉन्स्टेंटिनो ज़ेवियर** ने 2018 में कार्नेगी इंडिया के लिए लिखे एक पेपर में सभी बिस्सटेक देशों के विकास में रणनीतिक प्रोत्साहन शामिल किया है।
- ❖ बांग्लादेश, बिस्सटेक को बंगाल की खाड़ी में एक छोटे से राज्य से अधिक खुद को स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में देखता है और श्रीलंका इसे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने तथा व्यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए उपमहाद्वीप के केंद्र के रूप में काम करने के अवसर के रूप में देखता है।
- ❖ बिस्सटेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।
- ❖ “साझा मूल्यों, इतिहास, जीवन के तरीकों और नियति के साथ जो आपस में जुड़े हुए हैं, बिस्सटेक शांति और विकास के लिए एक साझा स्थान का प्रतिनिधित्व करता है।
- ❖ भारत के लिए, यह 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की हमारी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने का एक स्वाभाविक मंच है।

चीन के प्रति रणनीति

- ❖ हिंद महासागर तक अपने पहुंच मार्ग को बनाए रखने में तेजी से मुखर हो रहे चीन के लिए बंगाल की खाड़ी महत्वपूर्ण है।



- ❖ चूंकि, चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिस्मटेक देशों में बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, इसलिए बिस्मटेक प्रभुत्व के लिए भारत-चीन की लड़ाई में एक नया युद्धक्षेत्र है।

महत्व

- ❖ बिस्मटेक, भारत को चीनी निवेश का मुकाबला करने के लिए एक रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और इसके बजाय मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर सकता है।
- ❖ चीनी परियोजनाओं को व्यापक रूप से इन मानदंडों का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाता है।
- ❖ जेवियर ने लिखा कि “यह आचार संहिता विकसित कर सकता है जो नेविगेशन की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और समुद्र के मौजूदा कानून को क्षेत्रीय रूप से लागू करता है। इसके अलावा, बिस्मटेक, उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी के शांति क्षेत्र की स्थापना करके क्षेत्र के बढ़ते सैन्यीकरण को रोक सकता है, जो अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति के किसी भी आक्रामक व्यवहार को सीमित करना चाहता है।”
- ❖ **ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)** की वरिष्ठ फेलो जोइता भट्टाचार्जी ने इस साल एक पेपर में लिखा: “दो संगठन - सार्क और बिस्मटेक, भौगोलिक रूप से ओवरलैपिंग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ❖ सार्क एक विशुद्ध क्षेत्रीय संगठन है, जबकि बिस्मटेक अंतर-क्षेत्रीय है तथा दक्षिण एशिया और आसियान दोनों को जोड़ता है, चूंकि सार्क शिखर सम्मेलन केवल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, अतः इसके पुनरुद्धार की संभावना बनी हुई है।

SC में वरिष्ठ अधिवक्ताओं सम्बन्धी नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील

- ❖ ये दिशा-निर्देश न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

गए फैसले के बाद आए हैं, जिसमें 2017 के एससी फैसले में दिए गए 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदनाम सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में संशोधन की माँग की गई थी।

- ❖ इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ 2017 के फैसले के बाद 2018 में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भी बदलाव किया गया है।

क्या कहती हैं नई गाइडलाइंस?

- ❖ नए दिशा-निर्देश 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पद के आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित करते हैं। हालाँकि, इस आयु सीमा में समिति द्वारा छूट दी जा सकती है, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किसी वकील के नाम की सिफारिश की हो।
- ❖ हालाँकि, 2017 के दिशा-निर्देशों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "हालाँकि उच्च न्यायालयों की तुलना में सुप्रीम कोर्ट में पदनाम आमतौर पर 45 वर्ष से अधिक की उम्र में होते हैं, लेकिन युवा अधिवक्ता भी नामित हैं", अंतिम निर्णय स्थायी समिति और शीर्ष न्यायालय के हाथों में छोड़ दिया गया था।
- ❖ हालाँकि, 2017 के दिशा-निर्देश कहते हैं कि CJJ "किसी भी न्यायाधीश" के साथ पदनाम के लिए एक वकील के नाम की सिफारिश कर सकते हैं, 2023 के दिशा-निर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि CJJ "सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश" के साथ पदनाम के लिए एक वकील के नाम की सिफारिश लिखित रूप में कर सकते हैं।
- ❖ पहले, दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकाशनों के लिए 15 अंक अलग रखे गए थे। हालाँकि, नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि "शैक्षणिक लेखों के प्रकाशन, कानून के क्षेत्र में शिक्षण कार्य के अनुभव" और "कानून स्कूलों तथा पेशेवर के रूप में दिए गए अतिथि व्याख्यान" के लिए केवल 5 अंक दिए जाएंगे।
- ❖ इसके अलावा, नए दिशा-निर्देशों में रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए निर्णयों (कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित नहीं करने वाले आदेशों को छोड़कर) को दिया जाने वाला महत्व 40 से बढ़ाकर 50 अंक कर दिया गया है।

2018 के दिशा-निर्देश क्या हैं?

- ❖ अक्टूबर, 2018 में, शीर्ष न्यायालय ने पदनाम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता के लिए भारत की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम प्रदान करने को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश" की एक सूची जारी की। दिशा-निर्देशों ने 'गुप्त मतदान' की प्रणाली को हतोत्साहित किया, सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहाँ यह "अपरिहार्य" था।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक "वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति" या "स्थायी समिति" बनाई गई और उसे सम्मन की शक्तियां प्रदान की गईं। CJI की अध्यक्षता वाली समिति में दो वरिष्ठतम SC न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा नामित एक "बार का सदस्य" शामिल होना था। समिति को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना था।

योग्यता

- ❖ CJI या कोई अन्य न्यायाधीश पदनाम के लिए किसी वकील के नाम की सिफारिश कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वकील अपने आवेदन "स्थायी सचिवालय" में जमा कर सकते हैं, जो 10-20 साल की कानूनी प्रैक्टिस जैसे मानदंडों पर उनका मूल्यांकन करेगा, चाहे वह एक वकील, जिला न्यायाधीश या भारतीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में हो, जहाँ पात्रता के लिए योग्यता हो। जिला न्यायाधीश के लिए निर्धारित से कम नहीं है।

इंदिरा जयसिंह मामले में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

- ❖ 12 अक्टूबर, 2017 को तत्कालीन **न्यायमूर्ति रंजन गोगोई** की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की प्रक्रिया पर अपने और सभी उच्च न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश तय किए।
- ❖ जयसिंह ने मौजूदा प्रक्रिया को "अपारदर्शी", "मनमाना" और "भाई-भतीजावाद से भरा" बताकर चुनौती दी थी।
- ❖ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति को नियंत्रित करती थी। धारा 16 (1) के अनुसार "अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, अर्थात् वरिष्ठ वकील और अन्य वकील।"
- ❖ इसके अलावा, धारा 16 (2) एक वकील को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने की अनुमति देती है यदि वह इसके लिए सहमति देता है और "यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट" की राय है कि "अपनी क्षमता के आधार पर, बार में खड़े होकर", या कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव, "वह इस तरह के गौरव का पात्र है।"
- ❖ इसके अलावा, यह मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ही थे जिन्होंने एक वकील को 'वरिष्ठ' वकील के रूप में नामित किया था। इस निर्णय में एक "स्थायी समिति" और एक "स्थायी सचिवालय" की स्थापना का निर्णय लिया, एक निकाय जिसे प्रासंगिक डेटा, जानकारी और रिपोर्ट किए गए और अप्रतिबंधित निर्णयों की संख्या के साथ पदनाम के लिए सभी आवेदन प्राप्त करने और संकलित करने का काम सौंपा गया था।
- ❖ तत्पश्चात पदनाम का प्रस्ताव संबंधित न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सुझाव और विचार आमंत्रित किए जाएंगे, जिसे पश्चात जांच हेतु स्थायी समिति को भेजा जाएगा।



- ❖ समिति द्वारा उम्मीदवार का साक्षात्कार किया जाता है और एक बिंदु प्रणाली के आधार पर समग्र मूल्यांकन किया, जिसमें वर्षों के अभ्यास, किए गए निःस्वार्थ कार्य, निर्णय, प्रकाशन और एक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अंक दिए गए।
- ❖ एक बार जब किसी उम्मीदवार के नाम को मंजूरी दे दी जाती है, तो उसे बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण न्यायालय में भेज दिया जाता है। पूर्ण न्यायालय एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम को भी वापस ले सकता है।

दिशा-निर्देश क्यों बदले जा रहे हैं?

- ❖ फरवरी, 2023 में, केंद्र सरकार ने 2017 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठ वकीलों के पदनाम के लिए दिशा-निर्देशों को बदलने की मांग की।
- ❖ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम का निर्धारण करने के लिए मापदंडों पर विचार करते हुए, केंद्र ने 2017 के फैसले के 74वें पैराग्राफ (मुख्य निर्णय में पैरा 36) का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि दिशा-निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और उन्हें "इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला" रखा गया है।

भारत में ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

- ❖ अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने गांधीनगर में जी-20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक निवेश मंच विकसित करने की बात कही।

अन्य प्रमुख बिंदु

- ❖ अमेरिका, भारत के साथ मिलकर ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने हेतु कार्य करेगा।
- ❖ "दो-स्तंभ" प्रणाली से डिजिटल दुनिया में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में देशों के बीच मुनाफे और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
- ❖ विगत वर्ष अमेरिका और भारत के बीच हुए रिकॉर्ड-उच्च द्विपक्षीय व्यापार की चर्चा करते हुए कहा कि दोनों देशों का सहयोग वाणिज्यिक और तकनीकी



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

सहयोग, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने सहित कई आर्थिक मुद्दों तक विस्तारित है।

- ❖ बहुपक्षीय विकास बैंकों के विकास को आगे बढ़ाने पर भारत के फोकस का स्वागत किया गया और एक प्रणाली के रूप में MDB, जो अगले दशक में 200 अरब डॉलर हासिल कर सकता है, को बढ़ावा दिया गया।
- ❖ समावेशी ढांचे में ऐतिहासिक "दो-स्तंभ" वैश्विक कर समझौते को अंतिम रूप देने पर भारत के महत्व पर चर्चा की गयी, इस "दो-स्तंभ" प्रणाली से डिजिटल दुनिया में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में देशों के बीच मुनाफे और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
- ❖ जी-20 एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना शामिल है, जैसे- बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना और समन्वित जलवायु कार्रवाई करना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बढ़ती ऋणग्रस्तता से जुड़े कठिन मुद्दों पर आम सहमति बनाना और वित्तीय समावेशन के लिए क्रिप्टो-परिसंपत्तियों तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे द्वारा प्रस्तुत अवसरों का उपयोग करना शामिल है।

दिल्ली अध्यादेश मामला

चर्चा में क्यों ?

- ❖ सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को एक आधिकारिक फैसले के लिए संविधान पीठ को भेजने के संकेत दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं की शक्ति उपराज्यपाल को प्रभावी रूप से देता है।

विवाद के कारण

- ❖ मुख्य बिंदु, जो दिल्ली सरकार और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए:
दिल्ली सरकार
- ❖ अध्यादेश ने अध्यादेश मार्ग से संविधान में संशोधन किया है।
- ❖ राज्य सूची में प्रविष्टि 41 के तहत राज्य सार्वजनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार की शक्ति छीन ली गई।
- ❖ "स्थायी" राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, दिल्ली के शासन में मुख्यमंत्री को "अल्पसंख्यक आवाज" प्रदान करता है।

केंद्र सरकार

- ❖ अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। कोर्ट को इंतजार करना चाहिए।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ संसद के पास उन विषयों पर भी कानून बनाने की सर्वोपरि शक्तियां हैं जिनके संबंध में दिल्ली की विधान सभा कानून बनाने के लिए सक्षम होगी।
- ❖ विगत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री "उग्र" हो गए तथा अधिकारियों के खिलाफ "विच हंट" शुरू कर दिया, जिससे अध्यादेश की आवश्यकता हुई।
- ❖ हालाँकि, CJI के द्वारा कानून के उन सवालों की रूपरेखा तैयार की, जिन पर संविधान पीठ को ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें पहला प्रमुख मुद्दा है- क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 अध्यादेश मार्ग के माध्यम से संविधान में संशोधन के समान है?
- ❖ दिल्ली सरकार के तर्क अनुसार, अध्यादेश ने वास्तव में अनुच्छेद 239AA में संशोधन किए बिना सिविल सेवाओं पर उसका नियंत्रण छीन लिया है, जो मानता है कि सेवाओं पर शक्ति और नियंत्रण निर्वाचित सरकार में निहित होना चाहिए।

दिल्ली अध्यादेश की वैधता

- ❖ दूसरा, CJI ने मौखिक रूप से बताया कि सिविल सेवाओं पर सत्ता का प्रभावी हस्तांतरण संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 41 को रद्द करने जैसा है। प्रविष्टि 41 "राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग" पर राज्य की शक्ति से संबंधित है।
- ❖ मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के फैसले ने राजधानी में नौकरशाहों पर केंद्र की शाखा माने जाने वाले उपराज्यपाल की भूमिका को तीन विशिष्ट क्षेत्रों - सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तक सीमित कर दिया था।
- ❖ यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आठ दिनों के भीतर जारी किया गया था, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में कानून बनाने और नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करने के दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार रखा था।

भारत में गरीबी की दशा : नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

- ❖ नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पोषण, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा के वर्षों और खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच के मापदंडों में सुधार के कारण पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।

प्रमुख बिंदु




210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ नीति आयोग की यह रिपोर्ट UNDP के नेतृत्व वाले वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के जारी होने के ठीक बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, केवल 15 वर्षों (2005) की अवधि में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज़ गिरावट 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में गरीबी की घटना 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27% हो गई।
- ❖ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।
- ❖ 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, "भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.80% अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, जो 2015-16 में 24.85% से बढ़कर 2019-2021 में 14.96% हो गई।" इस अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
- ❖ नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच MPI (बहुआयामी गरीबी सूचकांक) मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है। गरीबी की तीव्रता, जो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव को मापती है, लगभग 47% से बढ़कर 44% हो गई है।
- ❖ सरकार के थिंक-टैंक के अनुसार, भारत को 2030 की निर्धारित समय-सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करने) को प्राप्त करने की राह पर ले जायेगा।
- ❖ उत्तर प्रदेश में लगभग 3.43 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं तथा 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे बड़ी गिरावट है।
- ❖ भारत के राष्ट्रीय MPI के तीन समान महत्व वाले आयाम हैं - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर , जो 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन संकेतकों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं।



- ❖ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सभी 12 संकेतकों में सुधार हुआ है, जिसमें स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पीने के पानी और बिजली तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार के हस्तक्षेप से "इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसमें पोषण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) जैसे प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- ❖ नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) पर आधारित है तथा दो सर्वेक्षणों, NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिपोर्ट अपने तकनीकी साझेदारों, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित अल्किरे-फोस्टर पद्धति का अनुसरण करती है।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669